



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1947 (श10)

(सं० पटना 323) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अप्रील 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 अप्रील 2025

एस० ओ० 84, दिनांक 24 अप्रील 2025— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 52 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, दिसम्बर, 2024 माह के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रारूप जीएसटीआर-8 में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे सहित विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के बारहवें दिन तक आगे बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20)1759)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

22 अप्रैल 2025

एस० ओ० 84, दिनांक 24 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20)1759)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य'-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 22nd April 2025

S.O. 84, Dated The 24th April 2025— In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (4) of section 52 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the statement, containing the details of outward supplies of goods or services or both, effected through an e-commerce operator, in FORM GSTR-8, under sub-section (4) of section 52 of the said Act read with rule 67 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 12th day of January, 2025.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of January 2025.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 1759)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 323-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>